न्यायालय राजस्वअपीलप्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपीलसंख्याः 44 / 2024
जीसीएमएस संख्याः 2024 / 396

निर्णय दिनांकः 30-05-2025

1. नारायणराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गांव लीलका तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मांगीलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गांव लीलका तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. भूराराम पुत्र नथाराम जाति नायक निवासी गांव लीलका तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 22—05—2024

उपस्थितः—

1. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री प्रहलाद जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 22—05—2024 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से एकतरफा तौर पर नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आपस में सगे भाई है जिनकी पुस्तैनी भूमि वाके ग्राम लीलका में स्थित है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बीच पुस्तैनी भूमि का आपस में बंटवारा हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता विभाजन के समय से ही छोडा चला आ रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आज भी उक्त रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए प्रस्तुत करते हुए ृ3 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 8 के पिता की संयुक्त खतेदारी भूमि वाके रोही गोविन्दनगर के खसरा नम्बर 1058 तादादी 8.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1620/672 तादादी 3.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690 तादादी 6.95 हैक्टेयर कुल तादादी 18.80 हैक्टेयर भूमि स्थित रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 1057 में आवागमन के लिए अपीलांट के खसरा नम्बर 1058 व 690 में से रास्ते का लम्बे समय से उपयोग करने तथा अपीलांट द्वारा रास्ता बन्द करने का तथ्य अंकित करते हुए धारा 251 ए के तहत रास्ता कायम करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निकटतम रास्ता मंजूर नहीं करते हुए जान बूझकर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा में आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में यह स्पष्टतया प्रावधान है कि नवीन रास्ता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

केवल मात्र अत्यांतिक आवश्यकता हेतु ही उपलब्ध करवाया जा सकता है ना कि सुविधा के हिसाब से रास्ता प्रदान किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट एवं अपीलांट आपसी भाई होने से पूर्वजों की भूमि में हुए बंटवारे में आवागमन हेतु रास्ते छोडे गये है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उन रास्तों का उपयोग ना करते हुए केवल मात्र अपीलांट को तंग परेशान करने की नियत मात्र से नवीन रास्ता चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इन तमाम तथ्यों की जांच किये बिना ही नवीन रास्ता स्वीकृत किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 पेज 240, आरआरटी 2017 पेज 423, आरआरटी 2015 पेज 753 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर 4

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से कोई स्वीकृत रास्ता नहीं होने की दशा में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट् की जोत में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर दिनांक 10–06–2022 को अप्रार्थीगण ने उपस्थित आते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में रास्ता स्वीकृती बाबत अपनी अनापत्ति व्यक्त की। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत तहसील कार्यालय से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा नवीन रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता होने के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत ही निर्णय पारित किया गया है एवं निकटतम रास्ता ही स्वीकृत किया गया है।

आगे उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिस रास्ते को स्वीकृत करवाने की सहमति प्रदान की गई है उक्त रास्ता की भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट द्वारा राज्य सरकार को समर्पित की गई है तथा समर्पित भूमि में से किसी प्रकार का कोई रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त समर्पित भूमि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि ना होकर राज्य सरकार की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उसकी पालना में मौके पर रास्ता चालू किया जा चुका है एवं राजस्व रिकोर्ड में भी उक्त रास्ते का अंकन किया जाने से अपीलांट अब किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए का अवलोकन किया गया। धारा 251 ए के अनुसारः— Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा खेत खसरा नम्बर 296/189, खसरा नम्बर 295/190, खसरा नम्बर 189 में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण करवाने के पश्चात अप्रार्थीगण का जवाब सलंग्न किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त रास्ते की स्वीकृति से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सुझाये गये रास्ते से रास्ता प्रदान किया जाने बाबत सहमति प्रदान की गई है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए आरटीए के तहत आवश्यक तहसील कार्यालय से मौका रिपोर्ट अपने पत्र क्रमांक एसडीओ/नोखा/कोर्ट/21/75 दिनांक 09–03–2021 से प्राप्त की गई। जिस पर तहसील कार्यालय तहसीलदार नोखा के पत्र क्रमांक/राजस्व/21/1563 दिनांक 10–09–2021 द्वारा मौका रिपोर्ट भिजवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उक्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट नियम 69 के प्रावधानों के तहत तैयार की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रास्ते संबंधी प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है:–

1:– रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2:– वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3:– उपलब्ध विकल्पों में से निकटतम रास्ता।

उपर्युक्त बिन्दुओं के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार द्वज्ञरा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्टतः उल्लेखित है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 190, खसरा नम्बर 285/190 तथा खसरा नम्बर 284/190 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रकरण में रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता का बिन्दु साबित है। अब जहां तक विकल्पों में से निकटतम रास्ते का प्रश्न है इस संबंध में मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 में अभिकथित किया गया है कि प्रार्थी को उक्त खेत में जाने के लिए निकटतम कटाणी रास्ते से अप्रार्थी खातेदार नारायणराम पुत्र गणेशाराम व अप्रार्थी भूराराम पुत्र नत्थाराम से नजदीक पडता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत नवीन रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु आवश्यक कारकों के मध्यनजर ही अपीलाधीन आदेश द्वारा नवीन रास्ता स्वीकृत किया जाना परिलक्षित होता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–05–2024 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 30-05-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर